न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–991/2026
खीरीमोड़ थाना कांड संख्या–77/2026

1. दीपक कुमार उर्फ दीपक यादव पिता बिरेन्द्र यादव। साकिन–जिनपुरा, थाना–खीरीमोड़, जिला–पटना।

–––––– अभियुक्त।

आवेदक की ओर से– श्री राहुल कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0 अपर लोक अभियोजक।

आदेश

30.06.2026 खीरीमोड़ थाना कांड संख्या–77/2026 धारा–126(2),115(2),329(4),74,109,324(4),352,351(2),351(3),3(5)बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक–02.03.2026 को समय करीब शाम 7.00 बजे अपने घर पर था तो दीपक यादव सूचक के घ ार पर चढ़कर गाली–गलौज व मारने की नियत से आया तो मेरी पत्नी मुझे घर से निकलने नहीं दी तो दीपक यादव मेरे खेत पर जाकर मेरे फसल पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया और मेरे घर पर आकर बोला कि तुम्हारा फसल क्षतिग्रस्त कर दिये हैं व बोला कि तुम्हारे खुन से होली खेलूँगा। धमकी देकर जा रहा था तो मेरा भतीजा अजय कुमार दलान से घर जा रहा था, उसी क्रम में रोड पर छेककर दीपक यादव मेरे भतीजे को गाली–गलौज व लाठी–डंडा से मारपीट करने लगे और हल्ला सुनकर मेरा व दीपक यादव का परिवार आये और समझाने के अलावे दीपक यादव, संदीप कुमार, उपेन्द्र यादव, विरेन्द्र यादव, पवन कुमार, अमन कुमार, ममता देवी व मीना देवी मेरे पुरे परिवार के साथ लाठी–डंडा एवं रड से मारपीट किये व गाली–गलौज करने लगे। मारपीट कर मेरे भतीजे का सिर फोड़ दिया, तीन टाका पड़ा है। ईलाज कराने के बाद आवेदन दे रहा हूँ। उचित कार्रवाई की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अपराध सामान्य, अस्पष्ट या सामूहिक आरोप प्रकृति का होता हुआ प्रतीत होता है। सह अभियुक्तगण को पूर्व में

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–991/2026
खीरीमोड़ थाना कांड संख्या–77/2026

लगातार

30.06.2026

अग्रिम जमानत दिया गया है, जिसमें जख्म प्रतिवेदन प्राप्त है। कारित जख्म साधारण प्रकृति का है। इस आवेदक पर भी समान प्रकृति का अपराध है। उभय पक्षों में खीरीमोड़ थाना कांड संख्या–76/2026 पल्टा वाद भी चल रहा है।

अतएव मामले के तथ्यों को देखते हुये आवेदक दीपक कुमार उर्फ दीपक यादव को इस शर्त पर अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है कि भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करेंगे एवं एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण होने पर धारा–482(2)बी.एन.एस.एस. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000/–रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदे ा की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

–

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।